राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3298 / 2025

महेश कुमार फुलवारियां

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.07.2025
सुनवाई की दिनांक : 09.09.2025
आदेश की दिनांक : 09.09.2025
अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरा लाल गोठवाल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री दलबीर सिंह, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, (अध्यक्ष)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार राजस्थान लोक आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक के पद के लिए दिनांक 10.09.2012 को एक विज्ञापन जारी किया था। अपीलार्थी ने वरिष्ठ अध्यापक के पद के लिए आवेदन किया था, जिसका विषय अंग्रेजी था और योग्य उम्मीदवार होने के कारण, प्रतिवादी ने नियुक्ति प्रदान की। अपीलार्थी को कार्यालय आदेश दिनांक 14.09.2012 के तहत जयपुर संभाग से उपरोक्त आदेश पारित किया गया और अलवर जिले में पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी ने 21.09.2012 को कार्यभार ग्रहण किया। (अनुलग्नक–3 व 4) दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद, प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी की सेवाओं को नियमित कर दिया। 22.06.2015 के आदेश द्वारा, प्रतिवादी ने अपीलार्थी को अलवर, चूरू जिले से सीकर जिले में स्थानांतरित कर दिया, जो कि संभाग है। उपरोक्त आदेश दिनांक 22.06.2015 में, इस तथ्य का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि अंतर–संभागीय स्थानांतरण के कारण वरिष्ठता प्रभावित होगी। (अनुलग्नक–5) अपीलार्थी ने 27.06.2015 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुड़ा खुर्द, सीकर में कार्यभार ग्रहण किया। (अनुलग्नक–6) प्रत्यर्थी विभाग ने वरिष्ठता सूची वर्ष 2012–13 दिनांक 23.10.2017 जारी की, अपीलार्थी का नाम क्रमांक 2779 पर अंकित है तथा अपीलार्थी की वरिष्ठता संख्या 367 है। (अनुलग्नक–7) प्रतिवादी ने वरिष्ठता के आधार पर अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक से स्कूल व्याख्याता के पद पर चयनित किया है। अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 1426 पर रखा गया है और नई वरिष्ठता संख्या 2779, चयन वर्ष 2021–22 है। (अनुलग्नक–8) कार्यालय आदेश

दिनांक 17.12.2024 के तहत, प्रतिवादी ने अभ्यर्थी को पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति देने का निर्देश जारी किया है। (अनुलग्नक–9) संबंधित प्रधानाचार्य ने दिनांक 18.12.2024 के पुनर्जीवन एवं कार्यभार ग्रहण आदेश के तहत अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक से विद्यालय व्याख्याता के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया और अपीलार्थी ने उसी स्थान अर्थात राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गुढ़ा खुर्द, पिपराली, जिला सीकर में कार्यभार ग्रहण किया। (अनुलग्नक–10) प्रतिवादी ने काउंसलिंग सूची जारी की, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रमांक 64 पर अंकित है। (अनुलग्नक–11) प्रतिवादी ने दिनांक 12.04.2025 को कार्यालय आदेश जारी किया, जिसके द्वारा प्रतिवादी ने अपीलार्थी को वरिष्ठ शिक्षक से स्कूल व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुढ़ा खुर्द, सीकर से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोलीडा, सीकर में पदस्थापित किया गया, लेकिन प्रतिवादी विभाग ने अपीलार्थी को उपरोक्त पदस्थापन स्थान पर अनुमति नहीं दी। प्रतिवादी ने दिनांक 26.04.2024 को एक पत्र भेजा और उच्च प्राधिकारी से मार्गदर्शन माँगा। (अनुलग्नक–12) प्रतिवादी ने दिनांक 16.05.2025 को एक पत्र जारी किया जिसके द्वारा प्रतिवादी ने जयपुर संभाग से चूरू संभाग में अंतर–संभागीय स्थानांतरण के कारण अभ्यर्थी को पदोन्नति के लिए योग्य नहीं माना, जबकि अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 2012 में हुई थी और वर्ष 2012 में सीकर जिला जयपुर संभाग में आता था। अतः प्रतिवादी को अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक से स्कूल व्याख्याता के पद पर पदोन्नति देने का निर्देश देने की मांग की जाती है। निदेशक, उच्च शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा दिनांक 23.10.2017 को वर्ष 2012–13 की स्थायी राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई थी, जिसमें अलवर, जयपुर, दौसा, सीकर एवं झुंझुनू जिलों में 2012–13 में सीधी भर्ती से नियुक्त वरिष्ठ अध्यापकों की वरिष्ठता संभवतः जयपुर संभाग में ही रखी गई थी। सीकर एवं झुंझुनू जिलों के इन वरिष्ठ अध्यापकों की वरिष्ठता भी जयपुर संभाग में ही बरकरार रही। यद्यपि ये दोनों जिले 2013–14 में चूरू संभाग में आ गए थे। वर्ष 2012–13 की स्थायी राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची निदेशक द्वारा दिनांक 23.10.2017 को प्रकाशित की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता क्रमांक 2779 पर अंकित है, तथापि अपीलार्थी को अंतर्विभागीय स्थानांतरण के फलस्वरूप वरिष्ठता प्रभावित होने के कारण पदोन्नति हेतु अपात्र घोषित किया गया है। (अनुलग्नक–13) अपीलार्थी ने इस माननीय न्यायालय के समक्ष एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9680/2025 दायर की थी। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 03.07.2025

द्वारा रिट याचिका पर निर्णय देते हुए न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलार्थी के पत्र संख्या 16.05.2025 के साथ–साथ दिनांक 29.05.2025 के आदेश को निरस्त किया जा सके और प्रत्यर्थी विभाग को कार्यालय आदेश दिनांक 12.04.2025 के अनुपालन में अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुढ़ा खुर्द, सीकर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलीडा, सीकर में पदोन्नत करने का निर्देश दिए जावे।

प्रत्यर्थी विभाग ने प्रस्तुत अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा जयपुर संभाग जयपुर के आदेशानुसार वरिष्ठ अध्यापक के पद पर दिनांक 14.09.2012 के द्वारा प्रदान की गई थी तथा अपीलार्थी को जयपुर संभाग के राजकीय माध्यमिक विद्यालय बहतूकलां, कटूमर, अलवर में पदस्थापित किया गया था जिस पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21.09.2012 को कार्यग्रहण किया गया। तदुपरांत अपीलार्थी का स्वैच्छिक स्थानांतरण जयपुर संभाग के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहतूकलां, कटूमर, अलवर से चूरू संभाग के राजकीय माध्यमिक विद्यालय गुडा खुर्द, पिपराली, सीकर में आदेश दिनांक 22.06.2015 के द्वारा किया गया तथा अपीलार्थी कार्मिक द्वारा स्वैच्छित स्थानांतरण उपरांत चूरू संभाग के राजकीय माध्यमिक विद्यालय गुडा खुर्द, पिपराली, सीकर में दिनांक 27.06.2015 को कार्यग्रहण किया गया। वरिष्ठ अध्यापक का पद संभाग स्तरीय पद है, विभाग द्वारा मण्डल स्तर पर वरिष्ठ अध्यापक पद की अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी कर आपत्तियों आमंत्रित की जाती है तथा प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए मण्डल स्तर की स्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाती है। इसके उपरांत विभाग द्वारा राज्य के सभी मण्डलों की स्थाई वरिष्ठता सूचियों को मिश्रित किया जाकर राज्य स्तरीय मिश्रित अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाकर आपत्तियों आमंत्रित की जाती है तथा प्राप्त आपत्तियों के निराकरण उपरांत निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के स्तर पर राज्य स्तरीय मिश्रित स्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाती है। अपीलार्थी कार्मिक को जयपुर संभाग में प्रथम नियुक्ति के आधार पर वर्ष 2012–2013 से वरिष्ठता प्रदान की गई तथा प्रथम नियुक्ति के आधार पर ही अपीलार्थी कार्मिक का नाम राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता कमांक 2779 (2012–2013) प्रदान करते हुए उक्त आधार पर वर्ष 2021–2022 की रिक्तियों के विरूद्व व्याख्याता (अर्थशास्त्र) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए आदेश दिनांक 11.04.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा पदोन्नति पर पदस्थापन प्रदान किया गया। अपीलार्थी का

जयपुर संभाग से चूरू संभाग में स्वैच्छिक अन्तरमण्डल स्थानांतरण किया गया था तथा उक्त स्वैच्छिक स्थानांतरण के आधार पर नियमानुसार अपीलार्थी कार्मिक की वरिष्ठता का विलोपन किया जाना था परन्तु सूचना/जानकारी के अभाव में अपीलार्थी कार्मिक की उक्त वरिष्ठता का विलोपन नहीं किया गया एवं अपीलार्थी कार्मिक को प्रथम नियुक्ति वर्ष 2012–2013 के आधार पर प्रदान किये गये वरिष्ठता क्रमांक 2779 (2012–2013) के आधार पर ही व्याख्याता पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी गई। माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के समक्ष THE RAJASTHAN EDUCATIONAL SUBORDINATE SERVICE RULES, 1971 के नियम 29 (10) को वर्णित किया जाना भी प्रासंगिक होगा, जिसको इस प्रकार वर्णित किया गया है :–

"(10) that the persons referred to in proviso (8) and proviso (9) are appointed on the same date, seniority inter-se of such persons shall be determined on the basis of their length of continuous service rendered in the same grade/equated posts in the private institution or Local Body, as the case may be.]

1 [Explanation: A person working on the post of [2][Senior Teachers/Teacher] or equivalent posts when transferred from one district/range to another district/range on his own request shall be placed just below the junior most person in seniority list of the new district/range from the date of taking over the charge in the new district/range and will cease to have any right of his seniority in the district/range from which he has been transferred.]"

उक्त वर्णित नियम से स्वतः स्पष्ट है कि वरिष्ठ अध्यापक के स्वैच्छिक स्थानांतरण की स्थिति में नवीन मण्डल/जिले में कार्यग्रहण के अनुसार वरिष्ठता का नवीन निर्धारण किया जावेगा साथ ही पूर्व अर्जित वरिष्ठता स्वतः विलोपित होगी। इस प्रकार अपीलार्थी कार्मिक वर्ष 2012–2013 से जयपुर मण्डल में अर्जित वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति प्राप्त करने का हकदार नहीं है एवं नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आलोच्य पत्र दिनांक 16.05.2025 (अनुलग्नक–1) के अपीलार्थी कार्मिक को पदोन्नति के फलस्वरूप कार्यमुक्त नहीं किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत डीबी स्पेशल अपील संख्या 41/2010 श्रीमती सन्तोष बनाम सरकार के माध्यम से राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम–1971 के नियम 29 (10) को चुनौती प्रदान की गई थी, उक्त डीबीस्पेशल अपील संख्या 41/2010 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निम्न अभिमत प्रदान करते हुए आदेश दिनांक 10.01.2012 के द्वारा निम्न अभिमत प्रदान करते हुए प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया गया :–

07. Reasons assigned by learned Single Bench for upholding constitutional validity of Explanation appended to Proviso (10) to Rule 29 of the Rules of 1971 are absolutely legal and

justified. We have alsoexamined the Explanation appended to Proviso (10) to Rule 29 of the Rules of 1971 and we find that it is in consonance with the provisions of Article 14 of the Constitution of India. In our view, learned Single Bench has rightly dismissed the writ petition.

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित अभिमत के अनुसरण में प्रथम दृष्टया ही खारिज/निरस्त किये जाने योग्य है। (अनुलग्नक आर–1) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के समक्ष प्रस्तुत याचिका संख्या 16309/2019 कन्हैया लाल टेलर बनाम सरकार में भी याचिकार्थी कार्मिक द्वारा प्रधानाध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) के पद पर प्रदान की गई त्रुटीपूर्ण पदोन्नति को निरस्त किये जाने को चुनौती प्रदान की गई थी. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर बेंच के आदेश दिनांक 24.10.2019 के द्वारा निम्न अभिमत के अनुसार खारिज/अस्वीकार फरमाया गया हैः–

"It is an admitted position that the petitioner was Udaipur division vide accorded appointment Annex- 1] from which, at petitioner's own request, he in was transferred to Ajmer division vide Annex-2 and 29(10) of the of Explanation Rajasthan Educational Subordinate Service Rules, 1971 ('the Rules of 1971), which provides that when a person working on the post of Teacher is transferred from one district/range to another district/range on his own request, he shall be placed just below the junior most person in seniority and will cease to have any right of his seniority the district/range from which, he has been transferred and, therefore, the seniority of the petitioner would lapse and he would join at the bottom seniority in the transferred division.

In view thereof, the petitioner, having lost his transfer seniority on account of transfer, was admittedly wrongly granted promotion by the respondents and when the promotion was granted on 31-8-2017, a specific stipulation with regard to effect of interdivision was made, which aspect was apparently suppressed by the petitioner and not indicated in this regard. Filing of the petition under Article 226 of the Constitution of India on the sole ground that the petitioner was not accorded any opportunity of hearing, in the circumstances of the case where the facts are admitted, legal position is clear whereby the petitioner was wrongly granted promotion and the petitioner has suppressed material facts from the respondents at the relevant time, no case for interference in the writ petition is made out- The same is, therefore, dismissed.

(अनुलग्नक आर–2) उक्त वर्णित कार्मिक श्री कन्हैया लाल टेलर द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष भी अपील संख्या 4424/2019 कन्हैया लाल टेलर बनाम सरकार प्रस्तुत की गई. उक्त प्रस्तुत अपील को माननीय अधिकरण के आदेश के द्वारा निम्न अभिमत प्रदान करते हुए दिनांक 05.09.2024 खारिज/अस्वीकार फरमाया गया :–

"4. हम पाते है कि अपीलार्थी की स्वेच्छा से उसका स्थानांतरण नवीन मण्डल में हुआ था। इस कारण से अपीलार्थी की वरिष्ठता को पुनः निर्धारण किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। THE RAJASTHAN EDUCATIONAL SUBORDINATE SERVICE RULES, 1971 के नियम 29 (10) को वर्णित किया जाना भी प्रासंगिक होगा। उक्त नियम से स्वतः स्पष्ट है कि वरिष्ठ अध्यापक के स्वैच्छिक स्थनांतरण की स्थिति में नवीन मण्डल/जिले में कार्यग्रहण के अनुसार वरिष्ठता का नवीन निर्धारण किया जावेगा। साथ ही पूर्व अर्जित वरिष्ठता विलोपित होगी। हम पाते है कि उपरोक्त प्रावधान के आधार पर अपीलार्थी की वरिष्ठता का नवीन मण्डल में निर्धारण पुनः किया जाना चाहिए था, जिसे अनदेखा करते हुए अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान की गई है। रिव्यू–डीपीसी के अनुसार अपीलार्थी के संबंध में पूर्व में दी गई वरिष्ठता को निरस्त किये जाने के कारण आदेश पारित किये गये है, जो उपरोक्त प्रावधान के अनुकुल है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम अपीलार्थी को पदावनत किये जाने के आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं पाते है। अतः इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।"

प्रत्यर्थीगण द्वारा जारी किये गये पदोन्नति आदेश दिनांक 12.04.2025 में इस तथ्य को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि "अर्न्तमण्डल स्थानांतरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में ऐसे कार्मिक को इस कार्यालय को वस्तुस्थिति बतलाते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त होने पर ही कार्यमुक्त किया जावेगा तथा जारी निर्देशों अनुक्रम में ही अपीलार्थी के प्रकरण में उचित विचारण उपरांत यह पाया गया कि अपीलार्थी कार्मिक जयपुर मण्डल की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए अपीलार्थी कार्मिक प्रस्तुत अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित अभिमत दिनांक 10. 01.2012 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा पारित अभिमत दिनांक 24.10.2019, माननीय अधिकण द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2024 तथा आदेश दिनांक 22.01.2025 के अनुसरण में खारिज/अपास्त किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह

अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष